UPMO010071642026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मुरादाबाद,

पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार-**IV),**

(उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06124

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2199/2026

रफी उम्र 33 वर्ष पुत्र शराफत, निवासी ग्राम झूरक झुण्डी, थाना टाण्डा, जिला रामपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या-355/2026,
धारा-109(1) बी0 एन 0 एस 0
व धारा-3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना-कटघर, जिला-मुरादाबाद।

22.07.2026

1- आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र इन आधारों प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक को उपरोक्त मुकदमें रंजिशन झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है, उसका नाम उक्त मामले में सह-अभियुक्त शाहरूख के बयान के आधार पर आया है। पुलिस द्वारा उसकी पत्नी को कमरे से उठाकर चौकी में बन्द करने के बाद आवेदक को सासनी के आलू मील से उठाकर उसका चालान कर दिया। उसकी पत्नी को चार दिन तक चौकी में रखा और पचास हजार रूपये लेकर उसकी पत्नी को छोड़ा, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देने एवं मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद उसके खिलाफ साजिश रचकर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर इस मुकदमे में उसका चालान कर दिया। उपरोक्त मुकदमे में जनता का कोई साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.06.2026 से जिला कारागार, मुरादाबाद में निरुद्ध है। वह किसी भी मुकदमें में दोषसिद्ध अपराधी नहीं है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

2- जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की पत्नी/पैरोकार फरजाना द्वारा शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि,

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.22 17:50:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 28.06.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, दिनांक 27.06.2026 वह एवं उनके अन्य पुलिस दल के सदस्य वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था, चैकिग सदिग्ध व्यक्ति/ वाहन रोकथाम जुर्म जरायम व तलाश वांछित अभियुक्त थाना क्षेत्र में मामूर थे। तभी चौकी काशीपुर तिराहा चौकी प्रभारी उ0नि0 विशाल चौधरी द्वारा मुझ प्र०नि० को जरिये दूरभाष सूचना दी गयी कि मु0अ0स0 349/2026 धारा 303(2),317(2) भा० न्या०सं० थाना कटघर में प्रकाश में आये वॉछित अभियुक्त 01. रफी पुत्र सराफत निवासी झरकझुडी थाना टाण्डा जनपद रामपुर 02. यशवीर यादव पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम भायपुर थाना मुँढापाण्डे जनपद मुरादाबाद के सम्बन्ध मे मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई है कि दोनो अभियुक्तगण मुँढापाण्डे जीरो प्वाईन्ट से होते हुए अन्दर शहर में आने वाले है आज भी कोई भैस चोरी की घटना कर सकते है यदि जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते है। मौके पर मुझ प्रभारी निरीक्षक को आने हेतु कहा गया। मुखबिर खास ने बताया कि दिनांक 16/17-06.2026 की रात्रि में ग्राम गोट से दो भैस चोरी के मुल्जिम रफी व यशवीर यादव दोनो एक स्पलेन्डर मोटर साईकिल से जीरो प्वाईन्ट से अन्दर शहर मे जाने वाले है। हम पुलिस वालो द्वारा मकसद बताकर एक दूसरे से विचार विमर्श करने के पश्चात आने जाने वाले लोगो को गवाही हेतु साथ चलने को कहा गया परन्तु कोई भी व्यक्ति भलाई बुराई के डर के कारण साथ चलने को तैयार नही हुआ। बामजबूरी हम पुलिस वालो द्वारा एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया गया किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित वस्तु नही है। हम पुलिस वाले मय मुखबिर के जीरो प्वाईंट की तरफ चल दिये और जीरो प्वाईन्ट की तरफ से आने वाले वाहनो की चैकिंग करने लगे। थोडी देर बाद जीरो प्वाईन्ट की तरफ से एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति सवार आते हुए दिखायी दिये जिन्हे मुखबिर खास द्वारा देखकर बताया यही रफी व यशवीर यादव है और मुखबिर बताकर चला गया। हम पुलिस वालो द्वारा आवाज लगाकर रुकने का इशारा किया तो यह दोनो व्यक्ति मोटर साईकिल से तेजी से भागने लगे। पीछा करने पर कच्ची चकरोड पर हाईवे से करीब 100 मीटर दूरी पर

मुल्जिमो की मोटरसाईकिल अनियन्त्रित होकर गिर गयी और दोनो बदमाशो ने पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से फायर झोक दिये जिससे पुलिस वाले बाल बाल बचे। इसके बाद दिनांक 28.06.2026 को समय करीब 00:54 बजे पुलिस कन्ट्रोल व थाना हाजा को पुलिस मुठभेड की सूचना दी गयी। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और दूसरी व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल मे भाग गया। घायल व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम रफी पुत्र सराफत निवासी ग्राम झरकझुंडी थाना टाण्डा जनपद रामपुर उम्र करीब 36 वर्ष बताया। इसके पास में एक अदद तमंचा 315 बोर जमीन पर पड़ा है तथा जामा तलाशी से पहनी लोवर की दाहिनी जेब से 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व बायी जेब से कुल 14550/- रुपये बरामद हुए व कुछ दूरी पर एक मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस रंग काला पडी है जिस पर आगे व पीछे की तरफ नम्बर नहीं है। मोटर साईकिल पर पीछे की तरफ एक प्लास्टिक का थैला बंधा हुआ है। पकडे गये व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो बताया कि करीब 09-10 दिन पहले ग्राम गोट से एक डेयरी से रात के समय मैने तथा मेरे साथियो शाहरुख पुत्र फारुख निवासी मिलक लालूवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद व हाकम अली पुत्र बुद्धा निवासी गंजो वाली मिलक थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद, यशवीर यादव पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम भायपुर थाना मुँढापाण्डे जनपद मुरादाबाद व बाबू आलम पुत्र हनीफ निवासी खाईखेडा थाना मुँढापाण्डे जनपद मुरादाबाद द्वारा दो भैस चोरी की थी। अगले दिन वहाँ से दोनो भैसो को शाहरुख एक टैम्पो से बेचने के लिए ले गया था। शाम के समय शाहरुख ने हम सबको रूपये दिये। मेरे हिस्से में 25000/- रुपये आये थे। साहब जो रुपये मेरी जैब से मिले है यह वही रूपये है जो दोनो भैसो को बेचकर शाहरुख ने मुझे दिये थे। पकडे गये अभियुक्त रफी से भागे हुए अभियुक्त के बारे मे पूछा तो बताया कि भागने वाला मेरा साथी यशवीर यादव पुत्र गुलफाम निवासी ग्राम भायपुर थाना मुँढापाण्डे जनपद मुरादाबाद था और आज भी हम ग्राम गोट की तरह की ही किसी ऐसी जगह को देखते हुए घुम रहे थे जहाँ से हम भैसो को आसानी से चोरी कर ले। और साहब जो मोटर साईकिल पर थेला बंधा है इसमे कुछ स्सयो व भैसो के मुँह पर बाधने वाला छिंका है। भैस चोरी करते समय हम उनका मुँह बाध देते है जिससे भैस आवाज ना कर पाये। साहब मैने तथा यशवीर यादव द्वारा पुलिस से बचने के लिए पुलिस पर फायर किये। मुझसे गलती हो गयी हमे माफ कर दो। अभियुक्त से बरामद तमंचे व कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटर

साईकिल के कागज व लाइसेन्स तलब किये गये अभियुक्त दिखाने में कासिर रहा और बताया कि साहब इसी मोटर साईकिल से ही हम भैसो को चोरी करने के लिए आते थे। बाकी एक मोटर साईकिल हाकम के पास में है। घटना में बरामद अभियुक्त से बरामद मोटर साईकिल मु0अ0स0 349/2026 धारा 303(2),317(2) भा0 न्या0 सं0 थाना कटघर जनपद मुरादाबाद की घटना में प्रयुक्त करना बताया गया है व घटना के जुर्म का इकबाल किया गया। अतः अभियुक्त रफी उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए दिनांक 28.06.2026 को समय करीब 00.58 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण रफी व यशवीर यादव आदि पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुरादाबाद द्वारा 25,000-25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। अभियुक्त को उपचार हेतु तत्काल घटनास्थल से जिला चिकित्सालय मुरादाबाद रवाना किया गया। अभियुक्त के कब्जे से बरामद माल को सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा चिटबंदी की गई। दौराने कार्यवाही जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया लेकिन खाली रास्ता व रात्रि का समय होने के कारण जनता का कोई भी गवाह उपलब्ध नही हो सका। गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार किया गया। फर्द मौके पर मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा लेपटोप पर बोल बोलकर टाईप कराकर फर्द का मजबून हमराहीयान को पढकर सुनाकर सभी के अलामात बनवाये जाते है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण रफी व यशवीर यादव के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा-109(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा-3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

4- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की मांग की गयी है।

5- मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को विनम्रतापूर्वक सुना तथा पत्रावली का तत्समय सम्यक अवलोकन किया।

6- प्रस्तुत प्रकरण, आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्त के साथ मिलकर पुलिस बल पर फायररिंग किये जाने एवं गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस बरामद होने से संबंधित है। बचाव पक्ष के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा व फर्जी फंसाया गया है। कथित बरामदगी झूंठी व फर्जी है, बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उक्त प्रकरण में

किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी है अपितु आवेदक/अभियुक्त के बांये पैर में चोट आयी है। आवेदक/ अभियुक्त दिनांक 28.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जहां तक, अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का सात अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष ने कोई भी ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया, जिससे आवेदक/अभियुक्त की पूर्व में दोषसिद्धि प्रमाणित होती हो।

7- अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त रफी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0-1,00,000/-रूपये (एक लाख रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)- आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

(ii)- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

(iii)- आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

(iv)- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन-जी-2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत आवेदक/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(अनिल कुमार-IV)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01,
मुरादाबाद।
J.O. Code-UP6124